

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9908/2017-18/ 254 दिनांक:- 11/2/18

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-रा.प्रा.वि. (07)-बालको के लिए उ.प्रा.वि. (01)-बालाके के विद्यालय का संचालन व्यय प्रतिबद्ध 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	ऑफिस आईडी	जि.शि.अ. का नाम	राशि	विवरण
1.	1584	उदयपुर	19036	श्रीमती कुसुम जोशी सहा. कर्मचारी के पति के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2.	1580	अजमेर	97527	श्री श्रवण लाल गुर्जर सहा. कर्मचारी राउप्रावि छोटी बस्ती पुष्कर के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	116563	

(अक्षरे रूपये एक लाख सोलह हजार पांच सो तरेसठ)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

  
(राजेन्द्र सिंह डूडी)  
वित्तीय सलाहकार  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजम।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार